मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005.

"विज्ञापन सूचना"

वेबसाईट http://hppns.hp.gov.in

संख्याःपी.एण्ड एस.1/2019(स्था0)–II– 6274–6345 दिनांकः 02 सितम्बर, 2023.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171005 में दैनिक वेतन (₹ 375/– या जैसा कि सरकार द्वारा समय–2 पर संशोधित किया जाएगा) पर चपरासी, चौकीदार, बांईडिंग मशीन परिचर तथा पैकर, सभी वर्ग IV के पदों की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या
1.	चपरासी (Peon), वर्ग IV (दैनिक वेतन पर)	कुल पद =02 {01 पद अनुसूचित जाति तथा 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग}
2.	चौकीदार (Chowkidar) वर्ग IV (दैनिक वेतन पर)	कुल पद =03 {01 पद सामान्य वर्ग, 01 पद अनुसूचित जाति तथा 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग}
3.	बांईडिंग मशीन परिचर (Binding Machine Attendant), वर्ग IV (दैनिक वेतन पर)	कुल पद =07 {03 पद सामान्य वर्ग, 01 पद अनुसूचित जाति, 02 पद अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 01 पद आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS)}
4.	पैकर (Packer), वर्ग IV (दैनिक वेतन पर)	कुल पद =02 {सामान्य वर्ग}

महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप पर, आवेदन पत्र में प्रदान की गई जगह में एक प्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो एवं आवश्यक योग्यता(ओं) और अनुभव, यदि कोई हो, आदि से सम्बन्धित सूचना सहित, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि **02–10–2023** को सांय 05–00 बज़े तक या इससे पूर्व नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 के कार्यालय में जमा करने होगें/पहुंच जाने चाहिए। जबकि अधिसूचित जनजातीय/दुर्गम/कठिन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि **17–10–2023** होगी।
2. उम्मीदवारों को उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करने से पहले सावधानी से निर्देशों को पढ़ना होगा, जो मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग की वेबसाइट http://hppns.hp.gov.in में "Download Form" Tab पर उपलब्ध हैं जहां से उम्मीद्वार इन दस्तावेज़ों की प्रतियों को डाऊनलोड कर सकते हैं ।
3. अभ्यर्थियों को किसी भी बाद के चरण में अस्वीकृति से बचने के लिए विज्ञापन में वर्णित श्रेणी, आयु और आवश्यक योग्यता इत्यादि के संबंध में अपनी पात्रता सुनिश्चित् करनी होगी।
4. अपूर्ण आवेदन या देय/अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन या आवेदन निर्धारित प्रारुप के अनुसार न होने पर या मूल्यांकन प्रपत्र संलग्न न करने पर आवेदन अस्वीकार/रद्द कर दिये जाएंगे तथा उससे सम्बन्धित कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा।
5. उम्मीदवारों का नाम हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
6. अभ्यर्थी, वर्ग–IV के पद (पदों) के लिए तभी पात्र होगा/होगी यदि उसने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से आठवीं या दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को लागू नहीं होगी।
7. सेवारत उम्मीदवार अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए अपने विभागाध्यक्ष/नियोक्ता को सूचना के साथ आवेदन कर सकते हैं। सेवारत उम्मीदवारों को मूल्यांकन में भाग लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक वह संबंधित नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं लाते हैं।
8. मूल्यांकन के समय सभी दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों को मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक इसमें विफल रहता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।
9. आवेदन नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0प्र0, शिमला–171005 को संबोधित करके पंजीकृत कवर/स्पीड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रुप में जमा करवाना होगा।
10. आवेदन पत्र वाले लिफाफे के शीर्ष पर **"चपरासी के पद के लिए आवेदन"** अथवा **"चौकीदार के पद के लिए आवेदन"** अथवा **"बांईडिंग मशीन परिचर के पद के लिए आवेदन"** अथवा **"पैकर के पद के लिए आवेदन"** लिखा होना चाहिए।

5745

11. किसी भी तरह के डाक विलम्ब के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
12. अभ्यर्थी को मूल्यांकन के लिए किसी प्रकार का टी0ए0/डी0ए0 देय नहीं होगा।
13. विवाद यदि कोई हो, शिमला स्थित न्यायालय क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
14. भरे जाने वाले पदों की संख्या बढाई अथवा घटाई जा सकती है।
15 उम्मीदवारों के चयन हेतु तैयार किये जाने वाला पैनल आगामी एक वर्ष के लिये प्रभावी रहेगा और उस दौरान यदि कोई चयनित उम्मीदवार चयनित पद पर कार्य ग्रहण नहीं करता है अथवा किसी भी कारण से सम्बन्धित श्रेणी का कोई पद रिक्त होता है तो उस पद को उस पैनल में रखे गए उम्मीदवारों में से वरिष्ठता के आधार पर भरा जाएगा ।

पात्रता शर्तेः—

चपड़ासी	
आयु	18 से 45 वर्ष।
	(क) उम्मीदवार की आयु की गणना वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात 01–01–2023 को मानी जाएगी। (ख) अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्व आवेदन करने वाले सम्बन्धित उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी। अन्य प्रवर्गो से भरे जाने वाले पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
आवश्यक योग्यता	(क) **अनिवार्य योग्यता** किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्था से दसवीं की परीक्षा या इसके समतुल्य परीक्षा पास की हो । (ख) **वांछनीय योग्यता** हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
चौकीदार	
आयु	18 से 45 वर्ष।
	(क) उम्मीदवार की आयु की गणना वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात् 01–01–2023 को मानी जाएगी। (ख) अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्व आवेदन करने वाले सम्बन्धित उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी। अन्य प्रवर्गो से भरे जाने वाले पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
आवश्यक योग्यता	(क) **अनिवार्य योग्यता** किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से आठवीं पास। (ख) **वांछनीय योग्यता** हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
बांईडिंग मशीन परिचर	
आयु	18 से 45 वर्ष।
	(क) उम्मीदवार की आयु की गणना वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात 01–01–2023 को मानी जाएगी। (ख) अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्व आवेदन करने वाले सम्बन्धित उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी। अन्य प्रवर्गो से भरे जाने वाले पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
आवश्यक योग्यता	(क) **अनिवार्य योग्यता** किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/संस्थान से आठवीं पास। (ख) **वांछनीय योग्यता** (i) हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों/रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान

	जाने वाले पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
आवश्यक योग्यता	(क) **अनिवार्य योग्यता** (i) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से आठवीं पास या इसके समतुल्य। (ii) किसी सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालय में पांच वर्ष का पैकर के पद पर व्यवहारिक अनुभव।
	(ख) **वांछनीय योग्यता** हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों/रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

ध्यान दें :–

- चयन के लिए उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा और कोई पत्राचार/व्यक्तिगत पूछताछ मान्य नहीं होगी।
- यह साबित करने का दायित्व कि एक उम्मीदवार ने निर्धारित तिथि से आवश्यक योग्यता प्राप्त की है, उम्मीदवार पर होगा और किसी भी विरोधाभासी सबूत की अनुपस्थिति में, प्रमाण–पत्र/प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के अनुसार उल्लिखित तिथि आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की तारीख के रुप में मानी जाएगी। मूल्यांकन के समय उचित मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त अवसर/समय प्रदान नहीं किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें :–

अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारुप पर आवेदन करना होगा और आवेदन नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005 के कार्यालय में दिनांक **02–10–2023** को सांय 05–00 बजे तक पहुंच जाने चाहिएं। अधिसूचित जनजातीय/दुर्गम/कठिन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के आवेदन दिनांक **17–10–2023 को सांय 05–00 बजे तक** इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिएं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त् आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। **आवेदन पत्र के साथ मूल्यांकन प्रपत्र के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्र/दस्तावेजों की प्रतिलिपियां संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।**

परीक्षा शुल्कः कोई परीक्षा शुल्क नहीं।

चयन की योजनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्याःपर(एपी.बी)बी(15)–5/2014, दिनांक 17–04–2017 द्वारा वर्ग IV पदों के लिए चयन तय अंकों की प्रतिशतता के आधार पर किया जाएगा जो 85 अंकों से तय किये जायेंगे। उदाहरण के लिए; मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीद्वार को 42.5 अंक दिए जाएंगे व तत्पश्चात निम्नलिखित पैरामीटर के आधार पर मूल्यांकन अनुसार अंक दिए जायेंगे।

विभिन्न वर्ग–IV पदों के लिए 100 अंकों के लिए मूल्यांकन के मापदंडः–

क्रम संख्या	100 अंकों के मापदंडों का विवरण	अंक	प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी
1.	क्वालीफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की गणना 85 से की जाएगी। (उदाहरण के लिए मैट्रिक (चपरासी हेतु) तथा आठवीं की परीक्षा (चौकीदार, बांईडिंग मशीन परिचर व पैकर हेतु) में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 42.5 अंक दिए जाएंगे) ।	85	मान्यता प्राप्त सम्बन्धित स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्था।
2.	यदि अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित हो।	01	सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी (ना0)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
3.	भूमिहीन कटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को संबद्ध राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	02	सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी (ना0)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
4.	इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है।	2.5	सम्बन्धित क्षेत्र के आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त नगर निगम/कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद/सचिव, नगर पंचायत/तहसीलदार/नायब तहसीलदार, उप मण्डल अधिकारी (ना0), अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/

Gaur

			अतिरिक्त उपायुक्त/उपायुक्त।
5.	40% से अधिक विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता वाले दिव्यांगजन।	01	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी/ मैडिकल बोर्ड।
6.	एन एस एस (कम से कम एक वर्ष)/एन सी सी में प्रमाण–पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	01	संबंधित संस्थान के प्रमुख/राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं का प्रमाणपत्र संबंधित जिला युवा सेवाओं और खेल अधिकारी/संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो।
7.	सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित रु.40,000/– से कम वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) वाला बी पी एल कुटुम्ब।	2.5	सम्बन्धित बीडीओ, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर समिति/परिषद/नगर पंचायत एवं आयुक्त/संयुक्त/सहायक आयुक्त, नगर निगम।
8.	विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला।	1.5	सम्बन्धित बीडीओ, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर समिति/परिषद/नगर पंचायत एवं आयुक्त/संयुक्त/सहायक आयुक्त, नगर निगम।
9.	इकलौती पुत्री/अनाथ।	01	सम्बन्धित बीडीओ, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर समिति/परिषद/नगर पंचायत एवं आयुक्त/ संयुक्त/सहायक आयुक्त, नगर निगम।
10.	सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित, अधिकतम पांच वर्ष तक अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)।	2.5	सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी सरकारी/ अर्धसरकारी संगठन।

*** नोटः– आईटम नम्बर 2 से 9 के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) द्वारा जारी पत्र संख्याःPer(AP-B)B(15)5/2014-loose-I, दिनांक 18–07–2017 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 15–09–2017, 17–11–2020 व दिनांक 04–02–2021 के अनुसार है।**

यदि चपरासी, चौकीदार, बांईडिंग मशीन परिचर तथा पैकर के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है, तो अभ्यर्थियों को कुल पदों/रिक्तियों की कुल संख्या के 05 गुणा अनुपात में मूल्यांकन के लिए शॉर्टलिस्ट करते हुये (शीर्ष उम्मीदवारों में से) अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में दावा किए गए अंकों के आधार पर मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा।

नोटः–I) उम्मीदवार, जो विचार के क्षेत्र में आयेंगे {उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में किए गए दावे के आधार पर} को उनकी पात्रता/दावे के समर्थन में अपेक्षित मूल/प्रमाणित दस्तावेजों सहित बुलाया जाएगा, जिसके लिए अलग से सूचित किया जाएगा।

II) यदि मूल्यांकन के समय दो या अधिक उम्मीदवारों के अंक बराबर पाए जाते है, तो उस स्थिति में शैक्षिक योग्यता में अंकों की अधिक प्रतिशतता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता/अधिमान दिया जाएगा तथा यदि शैक्षिक योग्यता में भी अंको की प्रतिशतता बराबर पाई जाएगी तो उस स्थिति में अधिक आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता/अधिमान दिया जाएगा।

अन्य शर्तेः–

1. सभी उम्मीदवार, चाहे वह सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या सार्वजनिक उद्यमों या अन्य समान संगठनों में या निजी रोजगार में हो, को अपना आवेदन सीधे विभाग में जमा करना होगा। पहले से ही स्थायी सरकारी सेवारत व्यक्ति, चाहे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हो, को एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा, कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के विभागाध्यक्ष को लिखित रुप में सूचित किया है कि उन्होंने किसी पद के लिए आवेदन किया है। यदि किसी नियोक्ता द्वारा आवेदन करने वाले किसी उम्मीदवार को अनुमति देने के लिए मना करने हेतू कोई पत्राचार प्राप्त होता है, तो उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
2. आकस्मिक/दैनिक रुप में कार्यरत/अनुबंधित कर्मचारियों को संबंधित नियोक्ता से एनओसी लाने की आवश्यकता नहीं है।
3. सरकारी सेवा (नियमित सेवा) कर रहे उम्मीद्वार विभागाध्यक्ष/नियोक्ता को एनओसी जारी करने की सूचना के साथ आवेदन कर सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार, जो नियमित सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाली औद्योगिक सेवा में हैं, उन्हें मूल्यांकन में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे संबंधित नियोक्ता का एनओसी प्रस्तुत नहीं करते। मूल्यांकन की तिथि के पश्चात प्राप्त एनओसी पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. आवेदन पत्र में किसी भी तथ्यात्मक जानकारी की झूठी सूचना और दस्तावेजों का देना या किसी भी तथ्यात्मक सूचना का दमन करना, पात्रता में अयोग्यता होगी। यदि सेवा के दौरान किसी भी समय ज्ञात होता है कि झूठी सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं या आवेदन में किसी भी तथ्यात्मक जानकारी का दमन हुआ है, तो सम्बन्धित व्यक्ति की सेवा तुरन्त समाप्त कर दी जाएगी।

5. आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र में अपनी नवीनतम फोटो पेस्ट करनी होगी।

6. इच्छुक उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।

7. पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सभी योग्यता शर्तो को पूरा करते हैं। निर्धारित पात्रता शर्तो को पूरा करने पर मूल्यांकन के लिए उनका प्रवेश पूरी तरह से अस्थायी होगा। यदि मूल्यांकन प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी समय पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता शर्तो में से किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी विभाग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

8. विभिन्न पदों के लिए अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों के लिए आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीद्वारों को देय होगा, जो हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासी हैं।

9. अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पैतृक आधार पर होना चाहिए, अन्यथा ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

10. हिमाचल प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि के समय एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। प्रमाण पत्र की वैधता को मूल्यांकन के समय देखा जाएगा। मूल्यांकन के समय उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने के समय का पुराना प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

11. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत आरक्षण का लाभ उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/उप मण्डलाधिकारी (सिविल) जहां उम्मीदवार या उसका परिवार रहता है और राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो, द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। आईआरडीपी/बीपीएल प्रमाण पत्र की वैधता इसके जारी होने की तारीख से छः महीने तक है। मूल्यांकन के समय उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में आवेदन पत्र भरने के समय के पुराने प्रमाण पत्र सहित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. प्रमाण पत्र की वैधता मूल्यांकन के समय देखी जाएगी। अनारक्षित बीपीएल श्रेणी से सम्बन्धित उम्मीदवारों को आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध बीपीएल प्रमाण पत्र तथा गैर–अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण हेतु पात्र माना जाएगा। यदि कोई बीपीएल उम्मीदवार आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) की श्रेणी के लिए आरक्षित पद के लिए आवेदन करता है तो उसे खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वैध बीपीएल प्रमाण पत्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रपत्र जमा करने के समय या आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के समय उम्मीदवार के पास ये प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप(पों) पर आवश्यक रुप से उपलब्ध होने चाहिएं।

13. यदि किसी भर्ती वर्ष में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) निर्धारित/आरक्षित रिक्ति को आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) के उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरा जा सका, तो उस विशेष वर्ष की ऐसी रिक्तियों को अगले भर्ती वर्ष के लिए बैकलॉग के रुप में आगे नहीं ले जाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब कोई आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) का उम्मीदवार चयन के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो पद को स्वतः ही अनारक्षित (डी–रिर्जव) माना जाएगा और पद को अनारक्षित श्रेणी के गैर आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (non-EWS) उम्मीदवार में से भरा जाएगा।

14. उम्मीदवार द्वारा एक बार दावा की गई श्रेणी को किसी भी स्तर पर बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति व हिमाचल प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के पास सम्बन्धित पद (पदों) का आवेदन करते समय अपने दावों के समर्थन में इस आश्य के प्रमाण पत्र होने चाहिए। आरक्षण का लाभ केवल पैतृक आधार पर ही स्वीकार्य होगा। आरक्षित श्रेणियों से सम्बन्धित सभी उम्मीदवारों को आवश्यक रुप से हिमाचल सरकार द्वारा समय–समय पर जारी प्रासंगिक निर्देशों के दृष्टिगत यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी विशेष श्रेणी के तहत पात्र हैं और मूल्यांकन के समय केवल निर्धारित प्रारुपों पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।

15. अभ्यर्थी जो विभाग द्वारा दोषी घोषित किया गया है:–

(ए) निम्नलिखित माध्यमों से उसकी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, अर्थातः
(i) अवैध परितोषण की पेशकश, या
(ii) दबाव डालना, या
(iii) ब्लैकमेलिंग, या चयन प्रक्रिया के संचालन में जुड़े किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना या धमकी देना, या
(बी) प्रतिरुपण, या
(सी) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरुपण प्राप्त करना, या
(डी) फर्जी दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गयी है, या
(ई) ऐसा बयान देना जो झूठा हो, या
(एफ) मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए विभाग द्वारा नियोजित कर्मचारियों को शारीरिक नुक्सान पहुँचाना या
(जी) प्रतिबद्ध करने का प्रयास कर रहा है या मामला पूर्वगामी खंडों में निर्दिष्ट सभी या किसी भी कार्य से विभाग को परेशान करता हो, तो वह अभ्यर्थी आपराधिक अभियोजन पक्ष के लिए खुद को उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, विभाग द्वारा परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए वह उम्मीदवार है, और/या
(एच) स्थाई रुप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए debarred किया जा सकता है:-
(i) विभाग द्वारा उनके तहत आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से।
(ii) केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा उनके तहत किसी भी रोजगार से, और
(आई) यदि वह सरकार के अधीन सेवा में है तो उचित नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई, बशर्ते कि इन नियमों के तहत कोई दंड लागू नहीं किया जाएगा, सिवाय निम्नलिखित के पश्चात्:-
(i) उम्मीदवार को लिखित में अपना पक्ष रखने का मौका देने, तथा
(ii) अभ्यर्थी द्वारा दी गई अवधि के भीतर प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, तो उसे लेना।

मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए अपात्रताः

कोई भी उम्मीद्वार चयन हेतु की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होगाः यदि
(ए) उसे किसी भी पिछली सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है;
(बी) उसे नैतिक अशांति से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या किसी भी परीक्षा या चयन में भाग लेने से स्थायी रुप से वंचित/अयोग्य घोषित किया गया है;
(सी) वह किसी भी तरीके से चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करता है;
(डी) एक पुरुष उम्मीद्वार जिसके पास एक से अधिक जीवित पत्नी हैं और यदि महिला उम्मीद्वार है, जिसने ऐसे पुरुष से शादी की है जिसकी पहले से एक पत्नी है; या
(ई) वह एक अमुक्त दिवालिया है।

(प्रभा राजीव, हि0प्र0से0)
नियन्त्रक,
मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171005.

पृष्ठांकन संख्याः1/2019(स्था0)-II- दिनांक, शिमला-171005, सितम्बर, 2023.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
1. सचिव (मुद्रण व लेखन), हि0प्र0 सरकार, शिमला-2 को उनके पत्र संख्याःमुद्रण-(बी)1-2/2021, दिनांक 01-10-2022 व समसंख्यक पत्र, दिनांक 05 अगस्त, 2023 के सन्दर्भ में।
2. इन्चार्ज, आई.टी.सैल, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0प्र0, शिमला को विभागीय वैबसाइट में "Download Form" Tab पर अपलोड करने हेतु।
3. समस्त रोजगार कार्यालय, हिमाचल प्रदेश।
4. नोटिस बोर्ड I व II, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0प्र0, शिमला-171005.

नियन्त्रक,
मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171005.

.....

मूल्यांकन प्रपत्र
मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005.

चपरासी (Peon)/चौकीदार (Chowkidar)/बांईडिंग मशीन परिचर (Binding Machine Attendant)/पैकर (Packer) (वर्ग–IV) के पद के लिए 100 अंकों के लिए मूल्यांकन का मापदंड

(उम्मीदवार द्वारा भरे जाने के लिए)

आवेदित पद का नामः______________________________

वर्ग/श्रेणी का नाम जिसके विरुद्ध आवेदन किया हैः__________________
{अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS)/सामान्य}

(इस प्रपत्र को उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

क्रम संख्या	100 अंको के मापदंडों का विवरण	अंक	उम्मीद्वार द्वारा दावा किये गये अंक
1.	क्वालीफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की गणना 85 से की जाएगी। (उदाहरण के लिए मैट्रिक (चपरासी हेतु) तथा आठवीं (बांईडिंग मशीन परिचर हेतु) में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 42.5 अंक दिए जाएंगे।)	85	
2.	यदि अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित हो।	01	
3.	भूमिहीन कटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को संबद्ध राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	02	
4.	इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है।	2.5	
5.	40% से अधिक विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता वाले दिव्यांगजन।	01	
6.	एन एस एस (कम से कम एक वर्ष)/एन सी सी में प्रमाण–पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	01	
7.	सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित रु.40,000/– से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी पी एल कुटुम्ब।	2.5	
8.	विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला।	1.5	
9.	इकलौती पुत्री/अनाथ।	01	
10.	सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित, अधिकतम पांच वर्ष तक अनुभव। (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)।	2.5	
	कुल जोड़ः–	100	

नोटः–जहां भी अंको का दावा किया गया हो, उम्मीदवार को अंक प्रत्र/प्रमाण पत्र की प्रमाणित/स्वयं–सत्यापित प्रतियां मूल्यांकन के लिए बुलाये जाने पर प्रस्तुत करनी होगीं और मूल प्रमाण पत्र भी विभाग को दिखाने होगें।

4xee

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम________________

मोबाईल फोन नं0ः________________

पता________________

दिनांकः__________

स्थानः__________

.....

मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला में दैनिक वेतन के आधार पर चपरासी (Peon)/चौकीदार (Chowkidar)/बांईडिंग मशीन परिचर (Binding Machine Attendant)/पैकर (Packer) (वर्ग–IV) के पद के लिए आवेदन पत्र

(प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन करना होगा)

अपना नवीनतम स्वयं सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं।

विज्ञापन संख्याः____________________ दिनांक__________

आवेदित पद का नामः____________________

वर्ग/श्रेणी का नाम जिसके विरुद्ध आवेदन किया हैः__________

{अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS)/सामान्य}

(1) आवेदक का नाम : ____________________

(2) पिता/पति का नाम : ____________________

(3) माता का नाम : ____________________

(4) जन्म तिथि (तिथि/माह/वर्ष) (अंको व शब्दों में):____________________

(5) लिंग :__________

(6) श्रेणी :__________

(7) राष्ट्रीयता :__________

(8) धर्म :__________

(9) दिनांक 01–01–2023 को आयु __________वर्ष__________माह__________दिन

(10) वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित): ____________________

(11) रोजगार कार्यालय का नाम : ____________________

पंजीकरण संख्या :__________(पंजीकरण की वैधता तिथि__________)

(12) आवेदित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का विवरणः–

परीक्षा का नाम	रोल नम्बर	उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	अधिकतम अंक	प्राप्तांक	प्रतिशतता

(13) यदि पहले से किसी सेवा में है, तो निम्न विवरण देंः–

कार्यालय का नाम जहां कार्यरत हैं	जिस पद पर कार्यरत हैं	सेवा की अवधि	पे–बैण्ड/वेतनमान	वर्तमान मूल वेतन

(14) स्थाई पताः ____________________

(पिनकोड भी अवश्य लिखें) ____________________

(15) पत्राचार हेतु पताः ____________________

(पिनकोड भी अवश्य लिखें) ____________________

(16) हिमाचली बोनाफाइडः हाँ/नहीं __________

(17) आधार कार्ड नम्बरः ____________________

(18) सम्पर्क दूरभाष संख्याः/मोबाईल संख्याः ____________________

(19) ई–मेल आईडीः____________________

(20) क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए किसी अदालत ने दोषी ठहराया हैः हाँ/नहीं __________

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं__________पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री__________सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिए गए सभी कथन और विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी सूचना/तथ्य को किसी भी समय गलत/झूठा पाया जाता है अथवा सूचना छिपाये जाने/ अयोग्यता का पता चलता है, तो मेरी उम्मीदवारी को किसी भी स्तर पर निरस्त/रद्द किया जा सकता है।

दिनांकः__________

स्थानः__________

आवेदक के हस्ताक्षर